बिहार विधान-सभा वादवृत

बृहस्पतिवार तिथि २१ सितम्बर, १६७२।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में बृहस्पतिवार, तिथि २१ सितम्बर, १६७२ को पूर्वाह्न ६ बजे उपाध्यक्ष, श्री शकूर अहमद के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली के नियम ४ परन्तुक के अन्तर्गत सभा-मेज पर प्रश्नों के लिखित उत्तरों का रखा जाना :

श्री दारोगा प्रसाद राय—महोदय, मैं षष्ठ विधान-सभा, १६७२ के अनागत, अल्पसूचित, तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम ४ के परन्तुक के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूँ। (*)

पाद टिप्पणी (*) उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखें।

जिसके लिये बोर्ड को सदा (लगातार) ब्याज, न्यूनतम, प्रचालन एवं संधारण प्रभार के रूप में नियत चार्ज वहन करना पड़ता है। इस कारण बोर्ड के परियात में नियत चार्ज तथा न्यूनतम प्रत्याभूति का उपलब्ध किया गया है। इसलिये यह न्यूनतम प्रत्याभूति को परियात से हटाना सम्भव नहीं है।

अलग-अलग नियुक्ति।

५३२। श्री भुनेश्वर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, विद्युत् विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार विद्युत् बोर्ड में वित्त नियंत्रक एवं लेखा सदस्य के पदोपर एक ही व्यक्ति अभी काम कर रहे हैं, यदि हां तोउक्त दोनों पदों पर अलग-अलग दो योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति सरकार आजतक करने जा रही है?

श्री जगन्नाथ मिश्र—वित्त नियंत्रक तथा लेखा सदस्य के पदों पर एक ही व्यक्ति काम कर रहे हैं। यह विषय इन दोनों पदों पर अलग-२ व्यक्तियों को नियुक्त करना आवश्यक है या नहीं, विचाराधीन है।

मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीयल वर्क

५३४। श्री राज मंगल मिश्र—क्या मंत्री, विद्युत विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि अपने दिनांक २२-४-१६७२ के प्रस्ताव संख्या २४७३ द्वारा विद्युत पर्षद ने यह निर्णय लिया है कि मेसर्स भारत इन्डस्ट्रीयल वर्क्स अपने निविदा के अनुसार पतरातू में २११० मेगावाट ब्यालर यूनिट्स का काम १५ दिनों के अन्दर आरम्भ नहीं करे तो इस फर्म को बोर्ड के काले सूचि में नाम दर्ज कर दिया जाए;

(२) क्या यह बात सही है कि अभिन्ता सदस्य एवं लेखा सदस्य ने बोर्ड की उक्त बैठक में यह अनुशंसा की थी उक्त फर्म को इसके निविदा की राशि से करीब २० से ३० लाख रुपये अधिक दी जाए, जबकि